



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2014/ आषाढ़ 2, 1936

No. 330]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2014/ASADHA 2, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2014

सा.का.नि. 415(अ). – केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 88 की उप-धारा (1), धारा 88 की उप-धारा (4), धारा 89 की उप-धारा (1), धारा 89 की उप-धारा (2), धारा 89 की उप-धारा (6), धारा 91 की उप-धारा (1), धारा 92 की उप-धारा (2), धारा 92 की उप-धारा (3), धारा 93, धारा 94 की उप-धारा (1), धारा 100 की उप-धारा (4), धारा 114 की उप-धारा (2), धारा 102, 101, 105, 108, धारा 109 की उप-धारा (5), धारा 112, धारा 113, धारा 110, धारा 186 की उप-धारा (3), धारा 115, धारा 117 की उप-धारा (1), धारा 118 की उप-धारा (1), धारा 119 की उप-धारा (2), धारा 120 और धारा 121 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 में,

(i) उप-नियम (1) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

“परंतु यह कि कंपनियां इस उप-नियम में निर्दिष्ट सुविधा 01 जनवरी, 2015 को या उससे पहले उपलब्ध करा सकेंगी।”

(ii) उप-नियम (3) में, “प्रदान करने का विकल्प चुनती है” शब्दों के स्थान पर “प्रदान करती है” शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 01/34/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 260(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2014

G.S.R. 415(E).-In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 88, sub-section (4) of section 88, sub-section (1) of section 89, sub-section (2) section 89, sub-section (6) of section 89, sub-section (1) of section 91, sub-section (2) of section 92, sub-section (3) of section 92, section 93, sub-section (1) of section 94, sub-section (4) of section 100, sub-section (2) of section 114, sections 102, 101, 105, 108, sub-section (5) of section 109, sections 112, 113, 110, sub-section (3) of section 186, section 115, sub-section (1) of section 117, sub-section (1) of section 118, sub-section (2) of section 119, section 120 and sub-section (1) of section 121, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, in rule 20,

(i) in sub-rule (1), the following shall be inserted, namely:-

“Provided that the Company may provide the facility referred to in this sub-rule on or before the 1st day of January 2015.”

(ii) in sub-rule (3), for the words “which opts to provide”, the words “which provides” shall be substituted.

[F.No. 01/34/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 260(E), dated the 31st March, 2014.